(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion:  Staff Car Driver Grade II in Level 4 in the Pay Matrix (Rs. 25500-81100) having six years of regular service in the grade or with a combined service of 15 years in Staff Car Driver Grade II and Staff Car Driver (Ordinary Grade), and have passed the trade test, specified by the Central Government.	Group C Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:  1. Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Chairman;  2. Deputy Director in charge of Medical Education, Directorate General of Health Services - Member;  3. Deputy Director, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital - Member  4. Incharge Transport, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital - Member.	Not applicable

[F. No. A.11018/27/2017-MH II]

PREM NARAIN, Under Secy.

## नई दिल्ली, 15 मार्च, 2021

सा.का.नि. 37.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

- 2. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2021 है।
  - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **5. निरर्हता.**—वह व्यक्ति-
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है; या
  - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले
				अथवा अचयन	व्यक्तियों के लिए आयु
				पद	सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टाफ कार ड्राईवर (विशेष श्रेणी)	01 (2021)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400 रुपये)	अचयन पद	लागू नहीं होता
	जा सकता है ।				

सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या
व्यक्तियों के लिए अपेक्षित	लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं		
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	हो	द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी
	या नहीं		जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
		-> -c	2-0
लागू नहीं होता	<b>आयु:</b> लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति
	शैक्षणिक अर्हता: लागू नहीं होता		

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें	संघ लोक सेवा
(29200-92300 रुपये) में स्टाफ	निम्नलिखित शामिल होंगे:	आयोग से परामर्श
कार ड्राइवर श्रेणी-1 जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा	1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज -अध्यक्ष;	आवश्यक नहीं है ।
की हो ।	2. उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य;	
टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों	3. उप निदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज -सदस्य।	
के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है,	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:	
प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों	1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज -अध्यक्ष;	
पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते	2. उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य;	
कि उनकी अर्हक या पात्रता सेवा,	3. उप निदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज -सदस्य।	

आवश्यक अर्हक या पात्रता सेवा के	
आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो	
भी कम हो, से कम न हो तथा	
जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा	
पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों	
के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में	
प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा	
अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली	
हो।	

[फा. सं. ए-12018/15/2019-एमएच-II]

प्रेम नारायण, अवर सचिव

## New Delhi, the 15th March, 2021

**G.S.R. 37.**—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the Staff car driver (Special Grade) in the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:

- Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Staff Car Driver (Special Grade) Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2021.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of posts, classification and level in pay matrix**.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification.**—No person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to Relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and the other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## **SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or Non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Staff Car Driver (Special Grade)	01 (2021)*  * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non- Ministerial, Non- Gazetted, Group 'B'.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400 - 112400).	Non selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Age: Not applicable.	Two years	Promotion
	Educational qualification : Not applicable		

In case of recruitment by promotion / deputation, absorption grade from which promotion/deputation, absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver Grade I in Level- 5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) with three years of regular service in the grade.  Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'B' Departmental Confirmation consisting of:-  1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College -Chairman;  2. Deputy Director, Directorate General of Health Services -Member;  3. Deputy Director Administrative, Lady Hardinge Medical College -Member.  Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-  1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College -Chairman;  2. Deputy Director, Directorate General of Health Services -Member;  3. Deputy Director Administrative, Lady Hardinge Medical College -Member.	Consultation with Union Public Services Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/15/2019-MH II]

PREM NARAIN, Under Secy.

## नई दिल्ली, 16 मार्च, 2021

सा.का.िन.38.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर (किनष्ठ आशुलिपिक) भर्ती नियम, 2001 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया है, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुंसधान संस्थान रायपुर, छत्तीसगढ़ में किनष्ठ आशुलिपिक पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-